



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 4—अप्रैल 10, 2004/चैत्र 15—चैत्र 21, 1926
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 4—APRIL 10, 2004/CHAITRA 15—CHAITRA 21, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2004

सा. का. नि. 113.—भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में दिनांक 03 जनवरी, 2004 को सा. का. नि. 2 के रूप में प्रकाशित भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :—

- अधिसूचना के पैरा 2 में संदर्भित उप नियम '5 (ड)' को उप नियम '(5)' पढ़ा जाए;
- नए उप नियम (7) में उल्लिखित उप नियम '5 (क)' को उप नियम '(5)' से प्रतिस्थापित किया जाए; और
- अधिसूचना में '90' और '180' अंक जहाँ कहीं आएँ, उनको क्रमशः 'नब्बे' और 'एक सौ अस्सी' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. 11012/4/2003-स्थापना (क)]

श्रीमती प्रतिभा मोहन, निदेशक

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th March, 2004

G.S.R. 113.— In the notification of Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, (Department of Personnel & Training) dated 23rd December, 2003 [GSR 2 dated 3rd January, 2004 published in the Gazette of India in Part-II, Section 3, Sub-section (i)] the following corrections are made :

-
- (i) Sub-rule '5(e)' referred to in para 2 of the notification may be read as Sub-rule '(5)';
 - (ii) For sub-rule '5(a)' mentioned in the new Sub-rule (7) Sub-rule '(5)' shall be substituted; and
 - (iii) For the figures '90' and '180' wherever appear in the notification the words 'ninety' and 'one hundred and eighty' respectively shall be substituted.

[F. No. 11012/4/2003-Estt. (A)]

Smt. PRATIBHA MOHAN, Director
